कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

"निर्माण भवन" प्लाट नं. 27-28, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Website : www.mppwd.gov.in Email : pwdbhop@mp.nic.in
Tel. No. - 0755 - 2551485, Fax - 0755-2556527

क्रमांक / संचार / लोनिवि / सर्कुलर / 2015 / 4471 भोपाल, दिनांक 24 / 11 / 2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मण्डल म.प्र.।

3. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय :– ई.एफ.सी., एस.एफ.सी., एवं अन्य प्रयोजनों हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्राक्कलनों के संबंध में निर्देश।

———

इस कार्यालय को ई.एफ.सी., एस.एफ.सी. अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये प्राक्कलनों के परीक्षण में यह पाया जाता है कि टेक्निकल रिपोर्ट उचित प्रकार से नहीं दी जा रही है तथा विभिन्न कार्य हेतु जो प्राक्कलन प्राप्त हो रहे हैं, उनमें यूनिट कास्ट में बहुत अधिक अंतर है। अतः कार्यों के प्राक्कलन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. क्रस्ट डिजाईन आई.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार सबग्रेड सी.बी.आर., ट्रेफिक इंटेंसिटी एवं डिजाईन लाईफ के अनुसार प्रस्तुत की जाये। यदि किन्हीं प्रकरणों में इससे हटकर कोई प्रस्ताव है तो उसके संबंध में पूर्ण तकनीकी औचित्य प्रस्तुत किया जाये।

2. विभाग में सामान्यतः अधिकांश कार्य विद्यमान मार्गों के रिहेबलिटेशन स्वरूप के हैं। अतः अर्थवर्क की मात्रा ठीक तरीके से आंकलित की गई होना चाहिये। सामान्यतः इंटरमीडियेट लेन हेतु 10 मीटर का फार्मेशन तथा टूलेन हेतु 11 मीटर का फार्मेशन रखा जाये। यदि विद्यमान मार्ग सिंगल लेन में है तो इंटरमीडियेट लेन हेतु सामान्य परिस्थितियों में औसतन 5000 क्युबिक मीटर प्रतिकिलोमीटर का अर्थवर्क (एम्बेकमेंट / सबग्रेड) पर्याप्त है। इसी प्रकार टूलेन हेतु औसतन 7000 क्युबिक मीटर प्रतिकिलोमीटर का अर्थवर्क पर्याप्त है। अधिकांश मामलों में यह मात्रा उपरोक्त दर्शाई

मात्राओं से क़म ही होना चाहिये। यदि स्थल विशेष की परिस्थितियों के अनुसार मैदानी अधिकारी यह उचित समझते हैं कि उक्त मात्राओं से अधिक मात्रा में अर्थवर्क कराये जाने की आवश्यकता है तो इसका औचित्य पूर्ण विवरण के साथ तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाये।

3. जीएसबी (सीआरएम) की ड्रेनेज लेयर के ऊपर दोनो ओर के शोल्डर्स में 12सीबीआर से अधिक की मिटटी का ही उपयोग किया जाये। सामान्यतः इसमें लगने वाली मात्रा औसतन 2000 क्युबिक मीटर प्रति किलोमीटर होगी। इसमें भी उक्त मात्रा से अधिक होने की दशा में पूर्व बिन्दु अनुसार औचित्य विवरण सहित तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाये।

4. रिजिड पेवमेंट के मामलों में सामान्यतः जीएसबी (सीआरएम) एवं डीएलसी की मोटाई 100–100 मि.मी. रखी जाये। जब तक कि इससे अधिक रखने हेतु तकनीकी बाध्यता हो। इस स्थिति में भी तकनीकी बाध्यता का उल्लेख करते हुये विस्तृत विवरण तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाये।

5. अनेक मामलों में प्राप्त प्राक्कलनों में यह देखा गया है कि पुल–पुलियों के प्राक्कलनों में एकरूपता नहीं है। यह निर्देशित किया जाता है कि हयूम पाईप कलवर्टस का निर्माण एस.पी. 13 के अनुसार ही किया जाये। सामान्यतः सिंगल रो एच पी सी, टू रो एच पी सी, थ्री रो एच पी सी की औसत लागत क्रमशः रू. 3 लाख, रू. 4 लाख, 6 लाख से कम ही होती है। इससे अधिक लागत की स्थिति में प्रत्येक स्ट्रक्चर के संबध में पूर्ण औचित्य के साथ विवरण तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाये। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी यह भी ध्यान में रखें कि किस स्थान पर स्लेब कलवर्ट दी जाना है अथवा बॉक्स कलवर्ट दी जाना है। इस प्रकार के निर्णय में तकनीकी आवश्यकता के अतिरिक्त कार्य पर लगने वाली लागत का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। स्लेब/बॉक्स कलवर्ट के मामलों में स्ट्रक्चर की लागत सामान्यतः रू. 4–5 लाख प्रतिमीटर (स्पान की लम्बाई) से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि अधिक है तो उसमें भी प्रत्येक स्ट्रक्चर के लिये पूर्ण औचित्य प्रतिपादित करते हुये तकनीकी प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

6. वृहद पुलों के संबंध में डीपीआर में सम्मिलित की गई लागत पूर्ण हाइड्रोलिक एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन के आधार पर रखी जाये। इसमें प्रावधानित पहुंचमार्ग तथा प्रोटेक्शन वर्क्स के संबंध में पूर्ण औचित्य प्रतिपादित करते हुये विवरण तकनीकी प्रतिवेदन में दिया जाये।

7. डीपीआर के साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग के विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बिजली के पोल्स शिफ्ट करने के मामलों में प्राक्कलन विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये प्राक्कलनों के अनुरूप ही हों। इसी प्रकार वाटर सप्लाई अथवा सीवेज लाईन शिफ्टिंग की लागत भी संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर ही हो। ट्री कटिंग के मामलों में विभाग के एसओआर अथवा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत लागत को आधार रखा जा सकता है।

8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है वहां नवीन अधिसूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान प्राक्कलन में रखा गया है।

9. प्रत्येक प्राक्कलन के साथ स्ट्रीप प्लान आवश्यक रूप से रहे जिसमें यूटिलिटीज की पोजिशन (वृक्ष, पोल्स इत्यादि) संरक्षित वनक्षेत्र से गुजरने वाला भाग स्पष्ट रूप से दर्शित हो।

10. रोड मार्किंग एवं रोड फर्नीचर के मामलों में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि यह प्रावधान अनावश्यक रूप से अधिक न हो तथा इतने भी कम न हों कि जिससे रोड सेफटी प्रभावित होती हो।

उक्त दिशा–निर्देश केवल गाईड लाईन्स के रूप में दिये जा रहे हैं। जिससे कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त प्राक्कलनों में एकरूपता रहे। प्राक्कलनों के संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी उक्त दिशा–निर्देशों से इतर भी प्रावधान कर सकते हैं किंतु इस हेतु उन्हें तकनीकी प्रतिवेदन में स्वयं स्पष्ट औचित्य विवरण सहित प्रतिपादित करना होगा।

(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

पृ. कमांक / संचार / लोनिवि / सर्कुलर / 2015 / 4472 भोपाल, दिनांक 24 / 11 / 2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव , म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश